FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

गोविन्दा बनाम मनसुख वगैरह

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु.न. 100/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.09.2025	प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सत्यनारायण शर्मा/विक्रम सिंह गुर्जर की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश हुआ। कार्यालय रिपोर्ट सरिस्ता हो चूकी है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर बहस करने का निवेदन किया, प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। सुनवाई व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजातों का भलीभांति अवलोकन व मनन करने के बाद प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie) प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के विरूद्ध आगामी तारीख पेशी 24.10.2025 तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 वादगत भूमि आराजी खसरा नम्बर 1252, 1253, 1306, 1336, 1337, 1340, 1347/1359, 1348, 1351/1360, 1360/1349, 247, 248, 249, 251, 252, 276, 909, 911, 913 हैक्टेयर भूमि ग्राम झूथाहेडा कलां पटवार हल्का बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति बनाये रखें। इस संबध में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो तारीख पेशी दिनांक 24.10.2025 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये स्पीड पोस्ट डाक वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.10.2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	नोटिस प्राप्त किये प्रकाश मीणा नि. गोविन्दा
24.10.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा गत आदेशिका के निर्देशानुसार अप्रार्थीगण की तामील स्पीड पोस्ट डाक पेश नहीं की गई और निर्देशों की अवहेलना की गई। इसलिए पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अतः पत्रावली आदेश 9 नियम 2 CPC (जहां समन्वों की तामील, खर्चे देने में वादी के असफल रहने के परिणामस्वरूप नहीं हुई है वहां वाद का खारिज किया जाना) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधान का	[illegible] 24 [illegible]

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज गोविन्दा बनाम मनसुख वगै० मु.नं.– 105/25 किस्म – 7.ए.	नम्बर व अहकाम जो की तामील हुए
	प्रयोग करके खारिज की जाती है एवं पत्रावली में दिनांक 26.09.25 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	